अज्ञानी का अभिमान

लेखक - अभिनव गुप्ता (शोधकर्ता, वन मुद्दों और एफआरए), असीम श्रीवास्तव
(प्रोफेसर, पर्यावरण दर्शन, अशोका विश्वविद्यालय)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III
(पर्यावरण संरक्षण)

द हिन्दू

1 अप्रैल, 2019

"यह काफी दुखद है कि न्यू इंडिया हमारी पारिस्थितिकी को नष्ट करने वालों पर कड़े कदम उठाने के बजाय आदिवासियों और वनवासियों को परेशान करने में अधिक दिलचस्पी दिखा रहा है।"

2004 में जब सुनामी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कहर बरपाया था तो इसमें हजारों लोग मारे गए थे। हालांकि, सबसे पुराने आदिवासी जनजातियों, जारवा और ओंगेस (अंडमान द्वीप के आदिवासी), को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि ये समुदाय लहरों की चपेट में आने से पहले जानवरों के पीछे-पीछे पहाड़ी इलाकों में चले गये थे। अशिक्षित होने के बावजूद उनके अनुभव ने उनकी रक्षा की।

जब पश्चिमी ड्रग और फार्मा कॉरपोरेशन अपने स्काउट्स को पेटेंट के लिए जड़ी-बूटियों की तलाश के लिए भारत के दूरदराज के क्षेत्रों में भेजते हैं, तो स्काउट्स पहले शीर्ष भारतीय डॉक्टरों या वैज्ञानिकों से परामर्श नहीं करते हैं, वे पहले आदिवासियों द्वारा बसाए गए जंगलों में जाते हैं और आदिवासियों के द्वारा बीमारी में उपयोग में लाये जाने वाले उपचार को सीखते है। बाद में, ये कंपनियां अपने प्रयोगशाला में जड़ी बूटी का परीक्षण करती हैं और इनके उपचार को अपनाती हैं। यह लंबे समय से बायोपाईरेसी का मुख्य केंद्र रहा है।

आदिवासियों द्वारा बसाए गए जंगल ऐसे हैं, जो उपमहाद्वीप में सबसे बेहतर रूप से संरक्षित हैं, कथित तौर पर शिक्षित भारतीयों की समझ के विपरीत यह एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। लेकिन सदियों पुराने अनुभव से प्राप्त हुए ज्ञान को स्कूल में हासिल की गई साक्षरता से कम आंका जाता है या शायद इसका अब कोई मूल्य नहीं है।

प्रकृति के साथ संबंध:-

अफसोस की बात है कि न्यू इंडिया का स्पष्ट अंदाज ऐसा है कि यह आदिवासियों और अन्य वनवासियों के जीवन के महत्व को नहीं देख पा रहा है, जो अनादि काल से जंगलों में और उसके आसपास रहते आ रहे हैं।

अभी हाल ही में 13 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने 17 राज्यों में वनभूमि से 1.12 मिलियन से अधिक आदिवासियों और अन्य वनवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ताओं, जिसमें मुख्य रूप से वन्यजीव गैर सरकारी संगठन शामिल थे, ने मांग की थी कि राज्य सरकारें उन वनवासियों को बेदखल करती हैं, जो अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत पारंपरिक वनभूमि पर अपना दावा सिद्ध करते है, जिन्हें वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के रूप में जाना जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया। हांलाकि, इसके बाद 28 फरवरी को, अदालत ने अपने विवादास्पद आदेश पर रोक लगा दी और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे वनवासियों के दावे अस्वीकार करने के लिए अपनायी गई प्रक्रिया के विवरण के साथ हलफनामे कोर्ट में दाखिल करें।

इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कितना हिस्सा व्यक्तिगत दावे का हैं और कितना सामुदायिक दावे का हैं। न ही ये सभी आदिवासी परिवार से हैं। कुछ अन्य पारंपरिक वन-निवासियों की श्रेणी में आ सकते हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार अपने वकील को अदालत में भेजने में भी विफल रही है। विडंबना यह है कि एफआरए में खारिज दावेदारों के निष्कासन के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। हांलाकि, देश भर में हुए जोरदार विरोध प्रदर्शनों के बाद अदालत ने अपने फैसले पर 10 जुलाई तक स्थगन आदेश जारी कर दिया है।

यह चुनावों के लिए तैयार भाजपा के राजनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप है। कई राज्यों ने अभी तक अदालतों को अपना विवरण नहीं दिया है। राज्यों द्वारा एक बार विवरण पेश किये जाने के बाद निकाले जाने वाले घरों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। आदिवासी आबादी के करीब 8-10% लोगों को अपने पारंपरिक घरों को खाली करने और अपनी आजीविका को छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या न्यायालय ने अपने इस फैसले के निहितार्थ पर विचार किया है? निकाले जाने के बाद ये लोग कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में किसी ने कुछ भी अभी तक नहीं कहा है। क्या ऐसे अमानवीय तरीके से पर्यावरण को बचाया जा सकता है?

न्यायाधीशों को पता है कि हम पारिस्थितिक रूप से एक विकट समय में रह रहे हैं, जब महानगरीय भारत को कॉर्पोरेट-उपभोक्ता के ज्यादतियों का काफी कुछ जवाब देना होगा। और फिर भी नुकसान सबसे कमजोर वर्ग को पहुँचाया जा रहा हैं।

कोंकण में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थापित की जा रही है, जिसमें 17 गांवों को उजाड़ दिया जायेगा जिसमें आधे से अधिक काजू के पेड़ और दस लाख से अधिक आम के पेड़ नष्ट हो जायेंगे। उत्तराखंड के पंचेश्वर में निर्मित होने वाले दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक से हजारों एकड़ से अधिक हिमालय के जंगल और सौ से अधिक गांव जलमग्न हो जाएंगे। इससे सवाल उठता है कि क्या संरक्षणवादी याचिकाकर्ता और अदालतें इनमें से किसी को रोकने के लिए कुछ भी कर रहे हैं? जब भू-माफियाओं, बिल्डर-डेवलपर्स, रियल्टर्स, कंस्ट्रक्टर्स और खनिकों से निपटने की बात आती है तो वे थोड़ा साहस दिखाते हैं, लेकिन जंगलों में आदिवासियों के संरक्षण को लेकर उनका विवेक कमजोर पड़ने लगता है।

एक खत्म होती सभ्यता:-

यदि हम दूरस्थ निवास स्थान से आदिवासियों को बाहर करते है, तो इससे भविष्य में पारिस्थितिक संकट से आगाह करने वालों को भी हम इससे खो देंगे। भारतीय वन अधिनियम, 1927 में प्रस्तावित संशोधन काफी चिंताजनक है, क्योंकि यह भारत के जंगलों और निवासियों पर वन अधिकारियों की पकड़ को और मजबूत करते हैं। शायद किसी दिन, जब इनका फैसला इन्हीं को नुकसान प्रभावित करेगा तब इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।

GS World टीम...

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

चर्चा में क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि खुद को जंगल का निवासी सिद्ध करने में विफल रहे अवैध कब्जेदारों को जंगलों से बेदखल किया जाए।
- सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से देशभर में करीब 10 लाख लोगों को जंगल खाली करना पड़ सकता है।
- इन निवासियों को 'अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत अपने दावे सिद्ध करने थे।
- वन भूमि पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण मध्य प्रदेश और ओडिशा के जंगलों में है, जहां क्रमश: साढ़े तीन लाख और डेढ़ लाख लोगों के वनाधिकार दावे खारिज हुए हैं।

क्या है?

- वनों में रहने वाले कई आदिवासी परिवारों की विषम जीवन स्थिति को दूर करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम, 2006 का ऐतिहासिक कानून अमल में लाया गया है।
- इस कानून को, जंगलों में रहने वाले अनुसूचित जातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों को उनका वाजिब अधिकार दिलाने के लिए, जो पीढ़ियों से जंगलों में रह रहे हैं लेकिन जिन्हें वन अधिकारों तथा वन भूमि में आजीविका से वंचित रखा गया है, लागू किया गया है।
- इसकी धारा-3 (1)(एच) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन क्षेत्र निवासियों (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन्य गांव, पुराने आबादी वाले क्षेत्रों, बिना सर्वेक्षण वाले गांव तथा वन क्षेत्र के अन्य गांव, भले ही वह राजस्व गांव के रूप में अधिसूचित हों या नहीं हों, इनके स्थापन एवं परिवर्तन का अधिकार यहां रहने वाले सभी अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों को प्राप्त है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006

क्या है?

- वन अधिकार अधिनियम (2006), वन संबंधी नियमों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो 18 दिसम्बर, 2006 को पास हुआ था।
- यह कानून जंगलों में रह रहे लोगों के भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़ा हुआ है, जिन्हें औपनिवेशिक काल से ही वंचित किया हुआ था।
- इसका उद्देश्य जहां एक ओर वन संरक्षण है, वहीं दूसरी ओर यह जंगलों में रहने वाले लोगों को उनके साथ सदियों तक हुए अन्याय की भरपाई का भी प्रयास करता है।

इस कानून के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:-

- यह जंगलों में निवास करने वाले या वनों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करता है।
- जंगलों में रहने वाले लोगों तथा जनजातियों को, उनके द्वारा उपयोग की जा रही भूमि पर उनको अधिकार प्रदान करता है।

- उन्हें पशु चराने तथा जल संसाधनों के प्रयोग का अधिकार देता है।
- विस्थापन की स्थिति में उनके पुनर्स्थापन का प्रावधान करता है।
- जंगल प्रबंधन में स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- जंगल में रह रहे लोगों का विस्थापन केवल वन्यजीवन संरक्षण के उद्देश्य के लिए ही किया जा सकता है। यह भी स्थानीय समुदाय की सहमति पर आधारित होना चाहिए।
- वन संरक्षण अधिनियम (2006) स्थानीय लोगों को भूमि पर अधिकार प्रदान कर वन संरक्षण को बढ़ावा देता है।
- यह वन भूमि पर गैर-कानूनी कब्जों को रोकता है तथा वन संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों के विस्थापन को अंतिम विकल्प मानता है। विस्थापन की स्थिति में यह लोगों के पुनर्स्थापन का अधिकार भी प्रदान करता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में से कौन-सी जनजातियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप में निवास करती है?

1. ओंगेस
2. जारवा
3. सकाई
4. शेंम्पेन

कूट:-

(a) 1, 2 और 4 (b) 2 और 4
(c) 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

1. Which of the following tribes inhabit in Andaman and Nicobar Island

1. Onge
2. Jarwa
3. Sakai
4. Shompen.

code:-

(a) 1, 2 and 4 (b) 2 and 4
(c) 1 and 3 (d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: वन अधिकारों के सन्दर्भ में आदिवासियों और वनवासियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इन समस्याओं से निपटने मे लिए सरकारों एवं न्यायालयों के भूमिका की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

(250 शब्द)

Q. Tribals and Forest dwellers have to face which type of problems in the cont ext of forest rights? Critically evaluate the role of government and judicial court in dealing with these problems.

(250 Words)

नोट : 30 मार्च को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।